

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 614 of 2025

IN THE MATTER OF:

Ashish Sagar Dixit

...Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors.

.... Respondents

INDEX


NDOH- 18.03.2026

S.NO.	PARTICULARS	PAGE NOS.
1.	Affidavit on behalf of the Respondent No. 4 (Uttar Pradesh Pollution Control Board)	1-4
2.	ANNEXURE R4/1 (COLLY) A true copy of the inspection report dated 18.02.2026	5-11
3.	ANNEXURE R4/2: A true copy of the letter dated 09.03.2026	12
4.	ANNEXURE R4/3: A true copy of the joint committee report alongwith its respective annexes	13-14
5.	ANNEXURE R4/4 (COLLY) A true copy of the environmental compensation calculation	15-26

Uttar Pradesh Pollution Control Board

Respondent No. 4

Through



AMIT SHUKLA

Advocate for the Respondent No. 4

Office at : D- 54, Sector - 48, Noida – 201303

Email: amit.shukla@lexweb.in

Ph. No. +91 9999933220 ; 9999333220

Place: New Delhi

Date: 17.03.2026

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 614 OF 2025

IN THE MATTER OF:

Ashish Sagar Dixit

.... Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors.


...Respondents



**AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO.4, UTTAR
PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**

I, Dr. Madhavi Kamalvanshi, aged about 55 years, W/o Dr. Arvind Kumar presently posted as the Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter referred to as UPPCB), Banda, U.P. do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That in the official capacity mentioned above, I am acquainted with the facts and circumstances of the case and as such I am competent and authorized to swear this affidavit.
2. That the applicant has raised an issue of illegal sand mining by Respondent No. 5, M/s New Eureka Mines and Minerals Pvt. Ltd. (Project Proponent) on the bank of River Ken at Village Sandi Khadar, Tehsil Pailani, District Banda, UP.




3. That this Hon'ble Tribunal has vide its order dated 03.12.2025 directed as under:

Handwritten signature

“We deem it proper to form a joint Committee comprising of a representative of the Member Secretary, CPCB, RO, MoEF&CC, Lucknow, a representative of the Member Secretary, UP PCB and District Magistrate Banda. The District Magistrate Banda will act as nodal agency in this joint Committee. The joint Committee will visit the site, ascertain the extent of illegal mining which has been done by the Respondent No. 5, extent of illegal mining, if any, done by the Respondents No. 5 on the field of the Applicant and Gram Sabha land, the truthfulness of the allegations made by the Applicant in the OA and the preventive and remedial measures, if any, taken by the local Authorities against such illegal mining. The joint Committee will also ascertain the extent of environmental damage caused and the environmental compensation which is required to be levied to compensate the said damage.”

4. That in compliance of the directions, the joint committee conducted the inspection of the site on 18.02.2026, A true copy of the inspection report dated 18.02.2026 is annexed herewith and marked as **Annexure R4/1**.



That this Hon'ble Tribunal has vide its order dated 25.02.2026 directed as under:

5. *Meanwhile, respondent nos. 1 to 4 are directed to ensure appropriate punitive action against the project proponent if he is indulging in illegal mining even during the pendency of this original application and submit the report before the next date of hearing.*
6. That the District Magistrate constituted a joint committee vide its letter dated 09.03.2026 comprising Sub-Divisional Magistrate Pailani, Circle Officer, Sadar, RO Banda and Mining Officer Banda for conducting the inspection. A true

[Handwritten signature]

copy of the letter dated 09.03.2026 is annexed herewith and marked as **Annexure R4/2**.

7. The said constituted joint committee has undertaken the site visit and carried out the inspection of the site in question on 14.03.2026.

A true copy of the Joint Committee report along with its respective annexure is being annexed herewith and marked as **Annexure R4/3**.

8. That in pursuance to the direction passed by this Hon'ble Tribunal the UPPCB vide its letter dated 16.03.2026 has requested to the Mining Officer Banda to provide the information of the action taken against the Mining Lease in question.

In continuation to the abovesaid letter the Mining Officer Banda vide its letter dated 16.03.2026 has provided the desired information to the UPPCB.

A true copy of the above mentioned letters is contained with the joint committee report.

9. That in compliance with the order passed by this Hon'ble Tribunal, the Environmental Compensation for the violations was calculated basis the information received.

A true copy of the Environmental Compensation calculation annexed herewith and marked as **Annexure-R4/4**.



10. That the present affidavit is being submitted before this Hon'ble Tribunal for kind perusal and consideration.

[Signature]
DEPONENT

VERIFICATION:

Verified at Banda on this the 17th day of March, 2026 that the contents of above affidavit are true and correct to my knowledge based on records and information received and believed to be true, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.



[Signature]
DEPONENT

903/165/166
SWORN
[Signature]
J.K. VERMA

[Signature]
17/3/26

**Joint investigation report
In the matter of Hon'ble Tribunal in OA No. 614 of 2025, Ashish Sagar
Dixit vs. State of Uttar Pradesh and others**

1.0. Background

The operative portions of the order dated 03.12.2025 passed by the Hon'ble Tribunal in OA No. 614/2025 Ashish Sagar Dixit vs. State of Uttar Pradesh and others, filed in Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi, are as follows:-

“8. Having regard to the seriousness of issue involved in the matter, we also deem it proper to form a joint Committee comprising of a representative of the Member Secretary, CPCB, RO, MoEF&CC, Lucknow, a representative of the Member Secretary, UP PCB, and District Magistrate Banda. The District Magistrate Banda will act as nodal agency in this joint Committee. The joint Committee will visit the site, ascertain the extent of illegal mining which has been done by the Respondent No. 5, extent of illegal mining, if any, done by the Respondents No. 5 on the field of the Applicant and Gram Sabha land, the truthfulness of the allegations made by the Applicant in the OA and the preventive and remedial measures, if any, taken by the local Authorities against such illegal mining. The joint Committee will also ascertain the extent of environmental damage caused and the environmental compensation which is required to be levied to compensate the said damage. The joint Committee will carry out this exercise within a period of six weeks and submit the report within eight weeks.

9. Counsel for the applicant is directed to supply a copy of the OA, along with enclosures to the counsel for the State of UP within three days.

10. List on 25.02.2026.”

2. Nominated Committee Members

Pursuant to the above order passed by the Hon'ble Tribunal, the District Magistrate, Banda, was designated as the nodal agency. The District Magistrate, Banda, constituted an investigation team and appointed the Additional District Magistrate Shri Kumar Dharmendra(F/R) as the representative. The investigation team included Mr. Sandeep Roy, Scientist 'E', representing the Central Pollution Control Board (CPCB); Dr. A.K.Gupta, Scientist 'E', representing the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MOEF&CC), Regional Office, Lucknow; and Dr. Madhavi Kamalvanshi, Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB), Banda, representing the Uttar Pradesh State Pollution Control Board.

2.0. Meeting of Joint Committee:

The designated team members discussed the matter via video conferencing on 6 February 2026 and scheduled an on-site inspection for 18 February 2026.

3.0. Inspection and Monitoring of the Joint Committee and its observation:

The site inspection was conducted on 18.02.2026. The investigation report is as follows:

- 3.1 The Forest Department has issued a No Objection Certificate (NOC) No. 1420/33-1, dated 10.12.2018, to the respondent no.5 mining lease area (**Annexure-01**). A notice has been issued to the lessee from the office regarding planting of trees in accordance with the Forest No Objection Certificate issued by the Forest Department.
- 3.2 The Mining Department, Office of District Administration, Banda vide letter no 354/Khanij-30, Banda dated 09.1.2023, inviting e-tender with e-auction notice. (**Copy of letter is Annexure-02**).
- 3.3 A Letter of Intent (LOI) has been issued by the Mining Department, Office of District Administration, Banda vide letter no. 1044/Khanij-30, Banda dated 29.3.2023. (**Copy of LOI letter is Annexure-03**).
- 3.4 The Mining Department, Office of District Administration, Banda issued a cluster certificate vide letter no 1164/Khanij-30, Banda dated 08.12.2023. (**Copy of letter is Annexure-04**).
- 3.5 Respondent no.5 has obtained Environmental Clearance (EC) for the said mining lease area, which SEIAA-UP has issued vide EC Identification No. EC24B0107UP5242320 Ndated 08.10.2024 (**Copy of EC is Annexure-05**).
- 3.6 Respondent no.5 has obtained consent to operate (CTO) vide letter no. 224261/UPPCB/Bnda (UPPCBRO)/CTO/both/Banda/2024 dated 02.12.2024, which is valid from 02.12.2024 to 31.12.2028, issued by UPPCB for the Sand/morrumining (383267 cubic meter/year) (**Copy of CTO is Annexure-06**).
- 3.7 Mining lease of sand/morrumin Khata No. 73/1, 73/2, 77/1, 77/7, 89, 101/1, and 102/1, total area of 26.62 hectares of land of village Sarikhadar situated in Tehsil Pailani of district Banda has been approved/executed from 11.12.2024 to 10.12.2029 in favour of Director Shri Himanshu Meena S/o Shri R.L. Meena R/o Needad, Harmada Jaipur (Rajasthan).

The geocoordinates of the said mining lease area are as follows:-

Point	Latitude	Longitude
A	25°42'06.78"N	80°18'44.29"E
B	25°42'41.34"N	80°19'27.78"E
C	25°42'32.10"N	80°19'28.50"E
D	25°42'32.10"N	80°19'32.07"E
E	25°42'04.50"N	80°18'47.00"E

- 3.8 After examining the mining area in question and matching it with the KML file prepared as per the prescribed geocoordinates, plot number, and area, it was found that in the said OA No. 614/2025 filed in Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi, apart from the applicant Shri Ashish Sagar Dixit, 04 other persons were involved. Out of the said 05 applicants, 04 applicants, with their consent, have removed the soil/overburden from the land falling in the said leased area, and the lessee has extracted the sub-mineral sand/morum (**consent letter Annexure-07**). The details of the said 04 applicants, whose land falls within the leased area, are as follows:-

S. No	Name Of Applicant	Village	Gata No.	Area (In Hec.)
1-	Vinod kumar S/o Ram Khelawan & 13 others Farmer	Sadikhadar	102/4	0.4380
2-	Ram sevak S/o Mahaveer & 17 others Farmer	Sadikhadar	102/3	0.5250
3-	Dvdideen S/o Ramuntha	Sadikhadar	75	0.3850
4-	Ramesh Chandra S/o Chudubad & 17 others Farmer	Sadikhadar	102/3	0.5250

Of the five applicants, Mrs. Usha Nishad's land does not fall within the mining lease area, nor has any mining been conducted on any of her land. During the investigation, the leaseholder was found to be mining within his approved area. Boundary pillars were also found installed at the site.

Rule-68(1) of the Uttar Pradesh Sub-Mineral (Prevention) Rules-2021 provides that:-

“No person, who has right in any capacity on the land covered by a mining lease or mining permit, shall be entitled to impose any prohibition or restriction on the mining operations by the holder of such lease or permit of such land or to demand any sum by way of premium or royalty for the removal of minor mineral:

Provided that such person shall be entitled to get annual compensation from the said holder of mining lease or permit for the use of the surface of the land for mining operations, as may be agreed upon between them.”

3.9 The said mining lease was previously inspected on-site, the details of which are as follows:-

- a) A joint investigation of the mining lease in question was conducted by a joint team of the Revenue Department, Police Department, and Mining Department on 26.12.2024, in which illegal mining/transportation of 1605.50 cubic meters of sand/gravel outside the mining lease area was found. Therefore, in case of violation of Rule-3, 58, 72 of UP Sub-Mineral (Prevention) Rules-2021 and Section-4 and 21 of Mines and Minerals (Development and Regulation) Act-1957, by issuing office notice no. 4383/Mineral-30 Banda dated 30.12.2024 (**Annexure-08**), the lessee was informed of Rs. 2,40,825/- as royalty and Rs. 12,04,125/- as mineral value, totaling Rs. 14,44,950/- for illegal mining/transportation of a total of 1605.50 cubic meters of sand/gravel outside the mining lease area. The lessee has deposited the alleged amount of Rs. 14,44,950/- through Challan No. AKV2500007069 dated 08.01.2025, under protest.
- b) Again, a joint investigation of the said mining lease was conducted by a joint team of the Revenue Department and the Mining Department on 18.03.2025, in which illegal mining/transportation of 5376.25 cubic meters of sand/gravel outside the mining lease area was found. Therefore, in violation of Rules 3, 58, 72 of the Uttar Pradesh Sub-Mineral (Prevention) Rules, 2021 and Sections 4 and 21 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, the lessee was informed by Office Notice No. 5239/Mineral-30 Banda dated 21.03.2025 (**Annexure-09**), that due to illegal mining/transportation of a total of 5376.25 cubic meters of sand/gravel outside the mining lease area, a royalty of Rs. 8,06,437.50/- and mineral value of Rs. 40,32,187.50/-, totaling Rs. 48,38,625/- was imposed on the lessee. The lessee submitted an explanation to the said notice on 26.03.2025. As the above explanation was not found satisfactory, the explanation was rejected and disposed of through office letter no. 1311/Mineral-30 Banda dated 13.06.2025. The lessee deposited the said alleged amount of Rs. 48,38,625/- through challan no. AKV250016406 dated 05.06.2025 for Rs. 24,19,214/-, challan no. AKV250018081

dated 26.06.2025 for Rs. 24,19,214/- and challan no. AKV250018084 dated 26.06.2025 for Rs. 197/- under protest.

- c) A joint investigation of the mining lease in question was conducted by a joint team of Revenue Department and Mining Department on 21/22.04.2025, in which excess mining/transportation of 4635.25 cubic meter sand/gravel within the mining lease area and illegal mining/transportation of 967.25 cubic meter sand/gravel outside the mining lease area and mining at a depth greater than the prescribed depth was found. Therefore, in case of violation of Rule-3, 58, 72, 60(2) of UP Sub-Mineral (Prevention) Rules-2021 and Section-4 and 21 of Mines and Minerals (Development and Regulation) Act-1957, by issuing office notice No. 514/Mineral-30 Banda dated 29.04.2025 (**Annexure-10**), for extra mining/transportation of total 4635.25 cubic meter sand/morum in the approved mining lease area, Rs. 6,95,287.50 as royalty and Rs. 34,76,437.50 as mineral value, total Rs. 41,71,725/- and for illegal mining/transportation of total 967.25 cubic meter sand/morum outside the approved mining lease area, Rs. 1,45,087.50 and Rs. 7,25,437.50 as mineral value, total Rs. 8,70,525/- and for mining beyond the prescribed depth of 03 meters and for violating the approved mining plan, environmental clearance certificate and conditions of mining lease, the lessee was informed of the penalty amount of Rs. 50,000/- as per Rule-60(2) of Rules-2021, total amount (41,71,725 + 8,70,525 + 50,000) Rs. 50,92,250/- (Rs. Fifty lakh ninety two thousand two hundred fifty only). The lessee submitted the clarification of the said notice on 16.05.2025. As the above explanation was not found satisfactory, the explanation was cancelled and disposed of through office letter no. 2185/Mineral-30 Banda dated 12.09.2025. Against the said alleged amount of Rs. 50, 92, 250/-, only Rs. 20, 00,000/- was deposited by the lessee under protest through challan no.-AKV250033565 dated 24.12.2025; the remaining amount of Rs. 30, 92,250/- was not deposited.
- d) Further, a joint investigation of the mining lease in question was conducted by a joint team of the Revenue Department and the Mining Department on 16.05.2025, in which illegal mining/transportation of 9774 cubic meters of sand/gravel outside the mining lease area and mining/transportation of sand/gravel in the river stream was found. Therefore, in case of violation of Rule-3, 58, 72, 42(j) of UP Sub-Mineral (Prevention) Rules-2021 and Section-4 and 21 of Mines and Minerals (Development and Regulation) Act-1957, by issuing office notice No. 918/Mineral-30 Banda dated 20.05.2025 (**Annexure-11**), the lessee was informed of royalty Rs. 14,66,100/- and mineral value Rs. 73,30,500/- and penalty fee Rs. 5,00,000/- totaling Rs. 92,96,600/-. The lessee submitted an explanation of the said notice on 16.06.2025. The explanation was found unsatisfactory and was dismissed by office letter No. 2252/Mineral-30 Banda dated September 25, 2025. Even after this, the lessee did not deposit any money.
- e) Against the notices dated 29.04.2025 and 20.05.2025 issued by the lessee, Appeal No. 2034/2025 and Appeal No. 2033/2025 have been filed before the Hon'ble Court, Commissioner, Chitrakootdham Mandal, Banda, respectively, which are currently under consideration.
- f) The lessee was ordered to deposit the total amount (30, 92, 250 + 92, 96,600) of Rs. 1, 23, 88,850/- imposed by the District Magistrate Banda through office order no.-2929/Mineral-30, Banda dated 30.12.2025. In connection with the matter, the lessee filed a writ petition no.-1410/2026 New Eureka Mines and Minerals Pvt. Ltd. vs. State of Uttar Pradesh and others in the Hon'ble High Court, Allahabad, in which

the operative portion of the order dated 20.01.2026 (Annexure-09) passed by the Hon'ble High Court is as follows:-

"4. Considering the facts and circumstances of the case, without adverting into the merits of the case, we dispose off the writ petition with a direction to respondent no.2-Commissioner Chitrakoot Dham Mandal, Chitrakoot to decide the Departmental Appeal No.2033 of 2025 (New Eureka Mines and Minerals Pvt. Ltd. Vs. State of U.P.) and Appeal No.2034 of 2025 (New Eureka Mines and Minerals Pvt. Ltd. Vs. State of U.P.) filed by the petitioner under Rule 79 of U.P. Minor Minerals (Concession) Rules, 2021 pending before him expeditiously, preferably within a period of two months from the date of production of certified copy of this order without granting any unnecessary adjournments to either of the parties.

5. It is expected from the respondents-authorities that during the pendency of the appeal, they will not press for recovery of the amount."

Regarding the above order passed by the Hon'ble High Court, the Hon'ble Court, Commissioner Chitrakootdham Mandal, Banda, was informed through letter no. 3547/Mineral-30 Banda dated 17.02.2026 (Annexure-10) of the District Magistrate Banda.

- 3.10. Respondent no.5 has placed boundary pillars without clear marking of Latitude/ Longitude.
- 3.11. As per EC condition, Respondent no.5 has not yet developed a green belt within & outside of the lease area. However, Respondent no. 5 informed the joint committee that they have done plantation on a regular basis in the lease area, due to a lack of security as well as the absence of fencing, animals are destroying trees, but some work of partial plantation under CSR had been done by respondent no. 5 in park/playground of Sandikhadar village.
- 3.12 Respondent no.5 has to use a single approach road (Kaccha) to access the lease area; however, near the lease area, the road (Kaccha) is bifurcated to access both ends of the lease area for ease of transport operation.
- 3.13 Respondent no.5 has not established a permanent health care facility within 5 km of the lease area for local people.

4.0. Recommendation:

Based upon observation during the visit and available office records, the following is recommended:

1. To satisfactory assurance of compliance, the Local Administration may constitute a committee, comprising officials from the Mining Department and the UPPCB Regional Office, to monitor the strict enforcement of EC, CTO, and Mining Plan stipulations in their entirety
2. To prevent dust emissions, the local administration and Mining Department must ensure that mineral haulage roads are all-weather/ black-topped and also ensure water sprinkling by Truck-mounted water tankers.
3. The respondent no.5 must develop a green belt as per the EC and CTO conditions and also ensure it's security as well.
4. The respondent no.5 can upgrade/replace all boundary pillars as per the Mining plan with Lat/ Long marking.
5. The respondent no.5 should establish a permanent health care facility within 5 km of the lease area for local people.

List of Annexures:

Annexures number	Description	Pages
1.	No Objection Certificate (NOC) No. 1420/33-1, dated 10.12.2018.	01 - 02
2.	e-tender with e-auction notice letter no 354/Khanij-30, Banda dated 09.01.2023.	03 - 14
3.	Letter of Intent (LOI) letter no. 1044/Khanij-30, Banda dated 29.3.2023.	15 - 16
4.	Cluster certificate letter no 1164/Khanij-30, Banda dated 08.12.2023.	17
5.	Environmental Clearance (EC) vide EC Identification No. EC24B0107UP5242320Ndated 08.10.2024.	18 - 33
6.	Consent to operate (CTO) vide letter no. 224261/UppCB/Bnda (UppCBRO)/CTO/both/Banda/2024 dated 02.12.2024	34 - 38
7.	The details of the said 04 applicants, whose land falls within the leased area	39
8.	Notice no. 4383/Mineral-30 Banda dated 30.12.2024	40
9.	Notice No. 5239/Mineral-30 Banda dated 21.03.2025	41 - 42
10.	Notice No. 514/Mineral-30 Banda dated 29.04.2025	43 - 45
11.	Notice No. 918/Mineral-30 Banda dated 20.05.2025	46 - 47
12.	Hon'ble High Court, Allahabad, in which the operative portion of the order dated 20.01.2026	48 - 49
13.	Letter no. 3547/Mineral-30 Banda dated 17.02.2026	50


Dr. Madhavi Kamalvanshi
 Regional Officer
 Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB),
 Banda


Sandeep Roy
 Scientist 'E',
 Central Pollution Control Board
 (CPCB), Regional Directorate,
 Lucknow


Dr. A.K. Gupta
 Scientist 'E',
 Ministry of Environment, Forest and
 Climate Change (MOEFCC)
 Regional Office, Lucknow


Kumar Dharmendra
 Additional District Magistrate (F/R)
 Banda

मौजा. लाड़ियापर परगना तहसील पिलानी जिला बंदा-भित
 गाया खेख्या 77, 89, 1011, 1021, आदि में वीरान में बंध
 खनन कार्य व्ध घूरेका भाइस 073 कि-मीरस 30 लिमिटेड -
 निदेशक हिमाशु श्रीगा द्वारा बाल खनन कार्य किया जा
 रहा है उक्त बाल खनन शैल के अन्तर्गत गाया खेख्या 731/2/2
 771, 731, 771, 771/2, 89, 1011, 1021, आते हो तथा
 उपरोक्त बाल खनन शैल के अन्तर्गत आने वाले गाया खेख्या
 में से गाया से 10244 केवा 0.4380 हे० में विनोद कुमार पुत्र -
 रामखेलावन व अन्य कुल 13 कुल व्ध कामजात हो जिनमें से
 विनोद कुमार पुत्र रामखेलावन नि० गा० लाड़ि क० अर्धे लगभग
 नामा/शपथ पत्र मु० 10. 60 स्याम्य में किया गया हो तथा गाया
 10243 केवा 0.5250 हे० में व्ध कुल रामसेवक पुत्र
 महावीर नि० गा० लाड़ी व अन्य कुल 17 कुल व्ध कामजात
 हो जिनमें से रामसेवक पुत्र महावीर नि० गा० लाड़ी क०
 नामा/शपथ पत्र मु० 10. 60 स्याम्य में किया गया
 हो तथा गाया खेख्या 75 केवा 0.3800 हे० में डेवी
 पुत्र रघुनाथ नि० गा० लाड़ी क० व्ध (बेदार के व्ध व्ध
 कामजात हो उक्त कुल डेवीडीन पुत्र रघुनाथ द्वारा अर्ध
 नामा/शपथ पत्र मु० 10. 60 स्याम्य में किया गया हो
 व गाया खेख्या 10213 केवा 0.5250 हे० में रमेशच
 पुत्र चुनुवाड आदि कुल 17 कुल व्ध कामजात हो
 जिनमें रमेशच पुत्र चुनुवाड, गैजनाथ पुत्र शिवधर
 रामसेवक पुत्र महावीर आदि द्वारा समझौता नामा
 शपथ पत्र मु० 10. 60 के व्ध स्याम्य किया गया हो
 आरक्षण सेवा में सादर प्रेषित हो

8/21/02/2026
 धर्मवीर यादव
 लेखपाल क्षेत्र...
 तह-पिलानी, जिला-बंदा

Annexure R4/2

12

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 3723 / खनिज-30, बाँदा

दिनांक : मार्च 09, 2026

"आदेश"

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0-614/2025 आशीष सागर दीक्षित बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक-25.02.2026 के कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

- "4. Applicant is directed to serve a copy of the IA No. 142/2026 to Counsel for all the concerned parties who will have an opportunity to file the reply within two weeks.
5. Meanwhile, respondent nos. 1 to 4 are directed to ensure appropriate punitive action against the project proponent if he is indulging in illegal mining even during the pendency of this original application and submit the report before the next date of hearing.
6. Lenard Counsel for respondent no.5 also seeks three weeks' time to file the reply.
7. List on 19.03.2026."

मा0 अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुक्रम में जनपद बाँदा की तहसील पैलानी स्थित ग्राम-साड़ीखादर के गाटा संख्या-73/1, 73/2, 77/1, 77/7, 89, 101/1 व 102/1 कुल रकबा 26.62 हे0 भू-क्षेत्र में बालू/मोरम के खनन पट्टा, जो न्यू यूरैका माइन्स एण्ड मिन्नरल्स प्रा0लि0 निदेशक श्री हिमांशु मीणा (प्रतिपक्षी सं0-05) के पक्ष में स्वीकृत/निष्पादित है, की जांच हेतु निम्नवत् समिति का गठन किया जाता है :-

1. उपजिलाधिकारी, पैलानी।
2. पुलिस क्षेत्राधिकारी, सदर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बाँदा।
4. खान अधिकारी, बाँदा।

अतः गठित समिति को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रकरण की जांच कर संयुक्त जांच आख्या एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे मा0 अधिकरण को अवगत कराया जा सके।

(जे0 रीभा)
जिलाधिकारी
बाँदा।

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
2. गठित समिति को अनुपालनार्थ प्रेषित।

J. Nulme
09/03/2026
जिलाधिकारी
बाँदा।

सयुक्त जांच आख्या

पत्रांक : 3804/खनिज-30, बाँदा

दिनांक : 16/3/2026

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बाँदा।

महोदया,

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0-614/2025 आशीष सागर दीक्षित बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.02.2026 के कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

- “4. Applicant is directed to serve a copy of the IA No. 142/2026 to Counsel for all the concerned parties who will have an opportunity to file the reply within two weeks.
5. Meanwhile, respondent nos. 1 to 4 are directed to ensure appropriate punitive action against the project proponent if he is indulging in illegal mining even during the pendency of this original application and submit the report before the next date of hearing.
6. Lenard Counsel for respondent no.5 also seeks three weeks' time to file the reply.
7. List on 19.03.2026.”

मा0 अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुक्रम में जिलाधिकारी महोदया, बाँदा के आदेश संख्या-3723/खनिज-30, बाँदा दिनांक 09.03.2026 द्वारा जनपद बाँदा की तहसील पैलानी स्थित ग्राम-साड़ीखादर के गाटा संख्या-73/1, 73/2, 77/1, 77/7, 89, 101/1 व 102/1 कुल रकबा 26.62 हे0 भू-क्षेत्र में बालू/मोरम के खनन पट्टा, जो न्यू यूरेका माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा0लि0 निदेशक श्री हिमांशु मीणा (प्रतिपक्षी सं0-05) के पक्ष में स्वीकृत/निष्पादित है, की जांच हेतु 04 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। गठित समिति द्वारा प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र की जांच दिनांक 14.03.2026 को की गयी, जांच आख्या निम्नवत् है :-

1. न्यू यूरेका माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा0लि0 पता-एच.आई.जी.-01, पेपटेक टाउन, छतरपुर (म0प्र0) निदेशक श्री हिमांशु मीणा पुत्र श्री आर0एल0 मीणा निवासी-नीदड, हर्मादा जयपुर (राजस्थान) के पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील पैलानी स्थित ग्राम-साड़ीखादर के गाटा सं0-73/1, 73/2, 77/1, 77/7, 89, 101/1 व 102/1 कुल रकबा 26.62 हे0 भू-क्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 11.12.2024 से 10.12.2029 तक स्वीकृत/निष्पादित है।
2. प्रश्नगत खनन क्षेत्र की जांच निर्धारित जियोकॉर्डिनेट्स के अनुसार तैयार की गयी KML फाईल, गाटा संख्या व क्षेत्रफल के माध्यम से मिलान करने के उपरान्त की गयी, जिसमें पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा वर्तमान में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत ही बालू/मोरम का खनन/परिवहन का कार्य किया जाना पाया गया।
3. उक्त खनन पट्टा क्षेत्र में सीमा स्तम्भ/पिलर भी अपने निर्धारित स्थान पर लगे हुये पाये गये किन्तु सीमा स्तम्भ छोटे तथा लम्बाई कम होने के कारण पट्टाधारक को निर्देशित किया गया कि लम्बे/बड़े सीमा स्तम्भ जल्द से जल्द निर्धारित स्थान पर लगाना सुनिश्चित करें तथा पिलर पर जियोकॉर्डिनेट्स भी अंकित करने के निर्देश दिये गये है।
4. जांच के समय नदी की जलधारा व पानी में खनन कार्य करते हुये नही पाया गया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की जांच पूर्व में दिनांक 21.02.2026 को की गयी थी, जिसमें जलस्तर आ जाने के उपरान्त भी खनन कार्य करते हुये पाये जाने पर कार्यालय के पत्र संख्या-3673/खनिज-30, बाँदा दिनांक 06.03.2026 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये शास्ति की धनराशि रू0 5,00,000/- से अवगत कराया गया।
5. खनन पट्टा क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा लगा हुआ पाया गया एवं खनन पट्टा क्षेत्र की ओर जाने वाले मार्ग पर पानी का छिड़काव होता हुआ पाया गया तथा खनन क्षेत्र में स्थापित वे-ब्रिज (तौल मशीन) का भी निरीक्षण किया गया, जो सुचारू रूप से चलते हुये पाया गया।

(2)

6. पट्टाधारक द्वारा खनन क्षेत्र के अन्दर वाहनों के आवागमन हेतु रास्ते निर्माण किया गया था किन्तु खनन कार्य करने के कारण उक्त बने रास्ते के पास पानी आ गया था, जिसको दूर से देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि नदी में रास्ते का निर्माण किया गया है। पट्टाधारक स्वयं संज्ञान लेते हुये उक्त बने रास्ते को हटा दिया गया है।
7. जांच के समय मौके पर लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत है :-



आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में सादर प्रेषित है।

Lawrence
खान निरीक्षक
बाँदा।

R. Ranjan
खान अधिकारी
बाँदा।

Muller
क्षेत्रीय अधिकारी
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
बाँदा।

dp
पुलिस क्षेत्राधिकारी
सदर।

jp
उपजिलाधिकारी
पैलानी।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-614/2024 आशीष सागर दीक्षित बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 25.02.2026 के अनुपालन में मैसर्स न्यू यूरैका माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा0लि0, गाटा नं0-73/1, 73/2, 77/1, 77/7, 89, 101/1, 102/1, ग्राम-साड़ी खादर, तहसील-पैलानी, जनपद-बॉदा की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाये जाने के अनुमोदन के सम्बन्ध में आख्या।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-614/2025 आशीष सागर दीक्षित बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 25.02.2026 के मुख्य अंश निम्नवत् है:-

“.....5. Meanwhile, respondent nos. 1 to 4 are directed to ensure appropriate punitive action against the project proponent if he is indulging in illegal mining even during the pendency of this original application and submit the report before the next date of hearing.....”

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-614/2025 आशीष सागर दीक्षित बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 25.02.2026 गाटा नं0-73/1, 73/2, 77/1, 77/7, 89, 101/1, 102/1, ग्राम-साड़ी खादर, तहसील-पैलानी, जनपद-बॉदा से सम्बन्धित है, उक्त खनन क्षेत्र की सूचनार्ये निम्नवत् है:-

1. क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक एन0जी0टी0-614/1025/2026 दिनांक 16.03.2026 द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-614/2025 में सन्दर्भित खनन परियोजना पर खनिज विभाग, बॉदा द्वारा की गयी कृत कार्यवाही की सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। (संलग्नक-1)
2. खनिज अधिकारी, बॉदा के पत्र संख्या-3805/खनिज-30, बॉदा दिनांक 16.03.2026 द्वारा उक्त खनन परियोजना में अवैध खनन से सम्बन्धित कृत कार्यवाही की सूचना प्रेषित की गयी है। (संलग्नक-2)

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-614/2024 आशीष सागर दीक्षित बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 25.02.2026 के अनुपालन में मैसर्स न्यू यूरैका माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा0लि0, गाटा नं0-73/1, 73/2, 77/1, 77/7, 89, 101/1, 102/1, ग्राम-साड़ी खादर, तहसील-पैलानी, जनपद-बॉदा को पत्र संख्या-3805/खनिज-30, बॉदा दिनांक 16.03.2026 में अंकित अवैध खनन के अनुसार उक्त खनन परियोजना पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् है:-

- दिनांक 30.12.2024 को अवैध खनन 1605.50 घन मीटर बालू/मौरम का बाजार मूल्य रू0-12,04,125/- (रूपये बारह लाख चार हजार एक सौ पच्चिस मात्र)।
- दिनांक 31.03.2025 को अवैध खनन 5376.25 घन मीटर बालू/मौरम का बाजार मूल्य रू0-40,32,187.50/- (रूपये चालिस लाख बत्तीस हजार एक सौ सत्तासी एवं पचास पैसे मात्र)।
- दिनांक 29.04.2025 को कुल अवैध खनन 5602.50 घन मीटर (4635.25 घन मीटर माइनिंग लीज सीमा के अन्दर परन्तु निर्धारित गहराई से अधिक खनन करने हेतु अवैध खनन की मात्रा + 967.25 घन मीटर माइनिंग लीज के बाहर खनन करने हेतु अवैध खनन की मात्रा) बालू/मौरम का बाजार मूल्य कुल रू0-42,01,875.00/- (रू0-3476437.50/- + रू0-725437.50/-) (कुल रूपये बयालिस लाख एक हजार आठ सौ पचहत्तर मात्र)।
- दिनांक 24.05.2025 को अवैध खनन 9,774 घन मीटर बालू/मौरम का बाजार मूल्य रू0-73,30,500/- (रूपये तिहतर लाख तीस हजार पाँच सौ मात्र)।

उक्त खनन परियोजना से कुल अवैध बालू/मौरम खनन का बाजार मूल्य- रू0 12,04,125 + 40,32,187.50 + 42,01,875.00 + 73,30,500 = रू0 1,67,68,687.50 (रूपये एक करोड़ सड़सठ लाख अड़सठ हजार छः सौ सत्तासी एवं पचास पैसे मात्र)

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा अवैध खनन हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में मार्गदर्शिका दिनांक 29.01.2020 (Recommendation on scale of compensation to deal with the case of illegal sand mining) में वर्णित Approach-2 के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् है -

Compensation Charged (Scenario II – explicit accounting of NPV)

Risk Factor (RF) = 1

Discount Rate (R) = 5%

Market value of Illegal Mined Material (D) = 1,67,68,687.00

D* RF = 1,67,68,687.00


- Present value of forgone ecological values (@ 5% Discount rate and over 5 Years)

$$\begin{aligned} PV &= \sum_{t=1}^5 (D* RF)/(1+R)^t \\ &= (1,67,68,687.00)/(1.05)^1 + (1,67,68,687.00)/(1.05)^2 + (1,67,68,687.00)/(1.05)^3 \\ &\quad + (1,67,68,687.00)/(1.05)^4 + (1,67,68,687.00)/(1.05)^5 \\ &= \text{Rs. } 7,25,99,833.00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} NPV &= PV-D \\ &= 7,25,99,833.00 - 1,67,68,687.00 \\ &= 5,58,31,146.00 \end{aligned}$$


Total Environmental Compensation = 5,58,31,146.00

अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये मैसर्स न्यू यूरेका माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा०लि०, गाटा नं०-73/1, 73/2, 77/1, 77/7, 89, 101/1, 102/1, ग्राम-साड़ी खादर, तहसील-पैलानी, जनपद-बोंदा पर अवैध खनन हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति- रू० 5,58,31,146.00/- (रूपये पांच करोड़ अठावन लाख इकत्तीस हजार एक सौ छियालिस रूपये मात्र) की लगाये जाने के अनुमोदन हेतु संस्तुति सहित आख्या सादर प्रस्तुत है।


अवर अभियन्ता


वैज्ञानिक सहायक

क्षेत्रीय अधिकारी, महोदया





दूरभाष-05192 297470
ई-मेल:- robanda@uppcb.com
क्षेत्रीय कार्यालय : उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
34ए, निकट संत तुलसी पब्लिक स्कूल, न्यू बिल्डिंग, इन्दिरा नगर गेट नं० 2
बाँदा उ०प्र०-210001

संदर्भ संख्या : 146T/614 | 1025/2026

दिनांक : 16 / 03 / 2026

सेवा में,

खनिज अधिकारी,
जनपद-बाँदा।

विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-614/2025 आशीष सागर दीक्षित बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 25.02.2026 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके अन्तर्गत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-614/2025 आशीष सागर दीक्षित बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 25.02.2026 के मुख्य अंश निम्नवत् है:-

“.....5. Meanwhile, respondent nos. 1 to 4 are directed to ensure appropriate punitive action against the project proponent if he is indulging in illegal mining even during the pendency of this original application and submit the report before the next date of hearing.....”

उक्त आदेश के अनुपालन में जनपद-बाँदा (साड़ी खादर ग्राम) स्थित खनन पट्टा मैसर्स न्यू यूरेका माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा०लि०, गाटा नं०-73/1, 73/2, 77/1, 77/7, 89, 101/1, 102/1 के खनन पट्टों पर पूर्व में की गयी कार्यवाही (पेनाल्टी, चालान, बन्दी इत्यादि) की सूचनायें समस्त संलग्नकों सहित इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे उक्त सूचनायें ससमय बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ प्रेषित की जा सकें, उक्त आदेश समस्त संलग्नकों सहित अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीया

(डॉ० माधवी कमलवंशी)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदया, जनपद-बाँदा।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, प्रभारी (वृत्त-2) उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी 16/03/2026

ole

प्रेषक,

खान अधिकारी,
बाँदा।

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
बाँदा।

पत्रांक : 3805 / खनिज-30, बाँदा

दिनांक: 16 मार्च, 2026

विषय:—मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-614/2025 आशीष सागर दीक्षित बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 25.02.2026 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बाँदा के पत्र सं०-एन०जी०टी०/614/1025/2026 दिनांक 16.03.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-614/2025 आशीष सागर दीक्षित बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 25.02.2026 के अनुपालन में जनपद बाँदा (साड़ीखादर ग्राम) स्थित खनन पट्टा मे० न्यू यूरैका माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा०लि० गाटा नं०-73/1, 73/2, 77/1, 77/7, 89, 101/1, 102/1 के खनन पट्टे पर पूर्व में की गयी कार्यवाही (पेनाल्टी, चालान, बन्दी इत्यादि) की सूचनायें समस्त संलग्नकों सहित इस कार्यालय को प्रेषित करने की अपेक्षा की गयी है।

अतः उक्त पत्र दिनांक 16.03.2026 के क्रम में चाही गयी सूचना इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,


(राज रंजन कुमार)
खान अधिकारी,
बाँदा।

पत्रांक : 4383 / खनिज-30, बाँदा

दिनांक : नवम्बर 30, 2024

नोटिस

न्यू यूरैका माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा०लि०
पता-एच.आई.जी.-01, पेपटेक टाउन, छतरपुर (म०प्र०)
निदेशक श्री हिमांशु मीणा पुत्र श्री आर०एल० मीणा
निवासी-नीदड, हर्मादा जयपुर (राजरथान)

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील पैलानी स्थित ग्राम-साड़ीखादर के गाटा सं०-73/1, 73/2, 77/1, 77/7, 89, 101/1 व 102/1 कुल रकबा 28.62 हे० भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 11.12.2024 से 10.12.2029 तक स्वीकृत/निष्पादित है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप खान निरीक्षक बाँदा, खान अधिकारी बाँदा, पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर, डिप्टी कलेक्टर बाँदा व अपर जिलाधिकारी न्यायिक बाँदा द्वारा दिनांक 26.12.2024 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या दिनांक 26.12.2024 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमिततायें पायी गयी :-

“3. जांच के समय यह पाया गया कि खनन क्षेत्र में उपखनिज बालू/मोरम का खनन कार्य करने से बने गड्ढे में पानी आ गया है। पानी आ जाने के उपरान्त पट्टाधारक द्वारा उक्त स्थान पर बालू/मोरम का खनन कार्य नहीं किया जा रहा है। साथ ही खनन कार्य से निर्मित गड्ढे की गहराई नापने के लिये एक व्यक्ति को लकड़ी लेकर गड्ढे में उतारा गया, जिससे यह प्रतीत हुआ कि उक्त गड्ढों में पानी की गहराई औसतन 0.50 मीटर है।

4. पट्टाधारक न्यू यूरैका माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा०लि० निदेशक श्री हिमांशु मीणा के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का निर्धारित जियाकोआर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 01 पिट्ट का निर्माण कर खनन/परिवहन कार्य किया गया है। उक्त पिट्ट का जियोकोआर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी०पी०एस० मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

पिट्ट की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्ट का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ० गहराई (मी० में)	मात्रा (घन मी० में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°42'22.46"N	80°19'2.70"E	3211	0.50	1605.50
	B	25°42'21.96"N	80°19'3.29"E			
	C	25°42'18.10"N	80°18'58.45"E			
	D	25°42'18.51"N	80°18'58.23"E			
कुल योग :-						1605.50

इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर कुल 1605.50 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन का कार्य किया गया है, जिससे हुई राजस्व की क्षति वसूली योग्य है।”

आपका उक्त कृत्य खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957, उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियमों में दी गयी व्यवस्था एवं खनन पट्टा विलेख की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

इस प्रकार आप द्वारा स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से बाहर 1605.50 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में ₹० 2,40,825/- व खनिज मूल्य के रूप में ₹० 12,04,125/- कुल ₹० 14,44,950/- (रुपये चौदह लाख चौवालिस हजार नौ सौ पचास मात्र) राजस्व की क्षति परिलक्षित होती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना साक्ष्य सहित लिखित स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।

जिलाधिकारी,
बाँदा।

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 5239/खनिज-30, बाँदा

दिनांक : मार्च 21, 2025

नोटिस

न्यू यूरेका माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा०लि०
पता-एच.आई.जी.-01, पेपटेक टाउन, छतरपुर (म०प्र०)
निदेशक श्री हिमांशु मीणा पुत्र श्री आर०एल० मीणा
निवासी-नीदड, हर्मादा जयपुर (राजस्थान)

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील पैलानी स्थित ग्राम-साड़ीखादर के गाटा सं०-73/1, 73/2, 77/1, 77/7, 89, 101/1 व 102/1 कुल रकबा 26.62 हे० भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 11.12.2024 से 10.12.2029 तक स्वीकृत/निष्पादित है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/भाप खान निरीक्षक बाँदा, तहसीलदार पैलानी व उपजिलाधिकारी पैलानी द्वारा दिनांक-18.03.2025 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या दिनांक 20.03.2025 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमिततायें पायी गयी :-

"3. पट्टाधारक न्यू यूरेका माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा०लि० निदेशक श्री हिमांशु मीणा के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का निर्धारित जियोकोआर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 04 पिट्ट का निर्माण कर खनन/परिवहन कार्य किया गया है। उक्त पिट्ट का जियोकोआर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी०पी०एस० मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

पिट्ट की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्ट का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ० गहराई (मी० में)	मात्रा (घन मी० में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°42'30.96"N	80°19'14.66"E	1611	1.25	2013.75
	B	25°42'31.45"N	80°19'15.28"E			
	C	25°42'32.96"N	80°19'15.43"E			
	D	25°42'31.95"N	80°19'13.59"E			
02	A	25°42'27.84"N	80°19'6.64"E	637	0.50	318.50
	B	25°42'27.41"N	80°19'6.89"E			
	C	25°42'28.80"N	80°19'7.98"E			
	D	25°42'28.44"N	80°19'8.20"E			
03	A	25°42'14.00"N	80°18'53.31"E	2114	1.00	2114.00
	B	25°42'14.67"N	80°18'52.27"E			
	C	25°42'16.19"N	80°18'54.19"E			
	D	25°42'15.24"N	80°18'54.79"E			
04	A	25°42'9.15"N	80°18'47.24"E	930	1.00	930.00
	B	25°42'9.76"N	80°18'48.01"E			
	C	25°42'10.58"N	80°18'47.72"E			
	D	25°42'9.76"N	80°18'46.51"E			
कुल योग :-						5376.25

इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से बाहर कुल 5376.25 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन का कार्य किया गया है, जो उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन है।"

(2)

इस प्रकार आप द्वारा रसीकृत पट्टा क्षेत्र से बाहर कुल 5378.25 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में रू० 8,08,437.50 व खनिज मूल्य के रूप में रू० 40,32,187.50 कुल रू० 48,38,625/- राजस्व की क्षति परिलक्षित होती है, साथ ही खनन पट्टा विलेख की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना लिखित स्पष्टीकरण 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, कि किन परिस्थितियों में आप के द्वारा उक्त कृत्य किया गया। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।

J. N. N. N.
21/03/2025-
जिलाधिकारी,
बाँदा।

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 514 / खनिज-30, बाँदा

दिनांक : अप्रैल 29, 2025

नोटिस

न्यू यूरेका माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा०लि०
पता-एच.आई.जी.-01, पेपटेक टाउन, छतरपुर (म०प्र०)
निदेशक श्री हिमांशु मीणा पुत्र श्री आर०एल० मीणा
निवासी-नीदड, हर्मादा जयपुर (राजस्थान)

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील पैलानी स्थित ग्राम-साड़ीखादर के गाटा सं०-73/1, 73/2, 77/1, 77/7, 89, 101/1 व 102/1 कुल रकबा 26.62 हे० भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 11.12.2024 से 10.12.2029 तक स्वीकृत/निष्पादित है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप खान निरीक्षक बाँदा, तहसीलदार पैलानी, खान अधिकारी बाँदा व उपजिलाधिकारी पैलानी द्वारा दिनांक 21/22.04.2025 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या संख्या-448/खनिज-30, बाँदा दिनांक 26.04.2025 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमिततायें पायी गयी :-

"3. पट्टाधारक न्यू यूरेका माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा०लि० निदेशक श्री हिमांशु मीणा के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का निर्धारित जियोकोआर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन क्षेत्र के अन्दर 08 पिट व स्वीकृत खनन क्षेत्र के बाहर 01 पिट का निर्माण कर खनन/परिवहन का कार्य किया गया है, जिसमें से पिट सं०-7 में ओवरवर्डन (मिट्टी) 04 से 05 मीटर हटाते हुये पट्टाधारक द्वारा बालू/मोरम का खनन कर परिवहन का कार्य किया गया है। उक्त पिट का जियोकोआर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी०पी०एस० मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

पिट्स की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्स का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ० गहराई (मी० में)	मात्रा (घन मी० में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°42'32.31"N	80°19'27.83"E	1312	1.75	2296.00
	B	25°42'33.20"N	80°19'27.77"E			
	C	25°42'33.11"N	80°19'26.36"E			
	D	25°42'32.76"N	80°19'25.37"E			
	E	25°42'32.46"N	80°19'25.99"E			
02	A	25°42'31.75"N	80°19'25.66"E	1152	1.50	1728.00
	B	25°42'30.73"N	80°19'25.95"E			
	C	25°42'31.11"N	80°19'27.49"E			
	D	25°42'31.79"N	80°19'27.12"E			
03	A	25°42'31.73"N	80°19'25.05"E	24383	1.00	24383.00
	B	25°42'31.03"N	80°19'24.99"E			
	C	25°42'30.27"N	80°19'22.20"E			
	D	25°42'29.70"N	80°19'19.51"E			
	E	25°42'28.90"N	80°19'15.87"E			
	F	25°42'27.36"N	80°19'13.20"E			
	G	25°42'25.18"N	80°19'10.14"E			
	H	25°42'26.39"N	80°19'9.03"E			
	I	25°42'30.55"N	80°19'14.25"E			
	J	25°42'30.79"N	80°19'15.78"E			
	K	25°42'31.84"N	80°19'22.07"E			

(2)

04	A	25°42'29.25"N	80°19'19.25"E	5125	1.50	7687.50
	B	25°42'28.41"N	80°19'15.87"E			
	C	25°42'26.26"N	80°19'12.23"E			
	D	25°42'25.31"N	80°19'13.06"E			
	E	25°42'27.74"N	80°19'16.42"E			
	F	25°42'28.81"N	80°19'18.56"E			
05	A	25°42'26.04"N	80°19'11.90"E	12847	1.50	19270.50
	B	25°42'20.97"N	80°19'5.27"E			
	C	25°42'19.20"N	80°19'5.31"E			
	D	25°42'21.01"N	80°19'7.60"E			
	E	25°42'24.45"N	80°19'13.47"E			
06	A	25°42'24.94"N	80°19'9.81"E	7437	1.25	9296.25
	B	25°42'26.19"N	80°19'8.81"E			
	C	25°42'23.75"N	80°19'5.65"E			
	D	25°42'22.31"N	80°19'4.78"E			
	E	25°42'21.28"N	80°19'5.03"E			
07	A	25°42'24.17"N	80°19'13.79"E	11754	5.50	64647.00
	B	25°42'22.38"N	80°19'15.35"E			
	C	25°42'19.45"N	80°19'10.63"E			
	D	25°42'20.09"N	80°19'9.37"E			
	E	25°42'21.50"N	80°19'9.36"E			
08	A	25°42'18.97"N	80°19'4.08"E	19952	1.25	24940.00
	B	25°42'19.89"N	80°19'4.15"E			
	C	25°42'20.93"N	80°19'3.34"E			
	D	25°42'20.86"N	80°19'2.04"E			
	E	25°42'14.21"N	80°18'53.66"E			
	F	25°42'13.35"N	80°18'54.39"E			
	G	25°42'16.88"N	80°19'0.70"E			
कुल योग :-						154248.25

पट्टाधारक द्वारा अपने खनन क्षेत्र हेतु विभागीय पोर्टल upmines.upsdc.gov.in पर उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार खनन पट्टा प्रारम्भ से जांच दिनांक 22.04.2025 तक कुल 1,49,613 घनमीटर की परिवहन हेतु कुल मात्रा का ई0एम0एम0-11 जनित किया गया है। पट्टाधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र से (154248.25 - 149613) = 4635.25 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किया गया है।

जांच के क्रम में स्वीकृत खनन क्षेत्र के बाहर 01 पिट्ट का निर्माण कर बालू/मोरम का खनन कर परिवहन का कार्य किया गया है, उक्त पिट्ट का जियोकोआर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी0पी0एस0 मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

पिट्ट की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्ट का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ0 गहराई (मी0 में)	मात्रा (घन मी0 में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°42'30.93"N	80°19'14.66"E	6599	0.50	3299.50
	B	25°42'29.99"N	80°19'11.92"E			
	C	25°42'28.35"N	80°19'9.58"E			
	D	25°42'26.43"N	80°19'7.90"E			
	E	25°42'24.05"N	80°19'6.03"E			
कुल योग :-						3299.50

उक्त अवैध खनन कि जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि जांच आख्या दिनांक 20.03.2025 जिसमें 5376.25 घन मी0 का अवैध खनन पाया गया था, उक्त अवैध खनन जिसमें पिट्ट सं0-01 में 2013.75 घन मी0 तथा पिट्ट सं0-02 में 318.50 घन मी0 कुल 2332.25 घन मी0 का अवैध खनन पाया गया था, वर्तमान में उक्त दोनो पिट्ट को मिला कर (पिट्ट सं0-01 व 02) कुल 3299.50 घन मी0 मोरम का अवैध खनन किया गया है। अतः दिनांक 20.03.2025 में पाये गये अवैध खनन को वर्तमान में किये गये अवैध खनन से घटाने पर (3299.50 - 2332.25) 967.25 घन मी0 अवशेष बचता है।

(3)

इस प्रकार पट्टेधारक द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र के अन्दर 4635.25 घन मी० का अतिरिक्त खनन व अपने पट्टा क्षेत्र के बाहर 967.25 घन मी० का अवैध खनन किया गया है।”

आपका उक्त कृत्य खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957, उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियमों में दी गयी व्यवस्था एवं खनन पट्टा विलेख की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

आप द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में कुल 4635.25 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में ₹0 6,95,287.50 व खनिज मूल्य के रूप में ₹0 34,76,437.50 कुल ₹0 41,71,725/- तथा खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर कुल 967.25 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में ₹0 1,45,087.50 व खनिज मूल्य के रूप में ₹0 7,25,437.50 कुल ₹0 8,70,525/- एवं निर्धारित गहराई 03 मी० से अधिक खनन करने तथा अनुमोदित खनन योजना, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र एवं खनन पट्टा की शर्तों का उल्लंघन करने पर नियमावली-2021 के नियम-60(2) के अनुसार शास्ति की धनराशि ₹0 50,000/- राजस्व की क्षति हुई है।

इस प्रकार आप द्वारा 4635.25 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन से ₹0 41,71,725/- तथा 967.25 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन से ₹0 8,70,525/- एवं गहराई 03 मी० से अधिक खनन करने पर शास्ति की धनराशि ₹0 50,000/- कुल धनराशि (41,71,725 + 8,70,525 + 50,000) ₹0 50,92,250/- (₹0 पचास लाख बानवे हजार दो सौ पचास मात्र) राजस्व की क्षति परिलक्षित होती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना लिखित स्पष्टीकरण 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, कि किन परिस्थितियों में आप के द्वारा उक्त कृत्य किया गया। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।

J. P. Nalla
29/04/2025
जिलाधिकारी,
बाँदा।
/c

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 918 / खनिज-30, बाँदा

दिनांक : मई 20, 2025

नोटिस

न्यू यूरेका माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा०लि०
पता-एच.आई.जी.-01, पेपटेक टाउन, छतरपुर (म०प्र०)
निदेशक श्री हिमांशु मीणा पुत्र श्री आर०एल० मीणा
निवासी-नीदड, हर्मादा जयपुर (राजस्थान)

आपके पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील पैलानी स्थित ग्राम-साडीखादर के गाटा सं०-73/1, 73/2, 77/1, 77/7, 89, 101/1 व 102/1 कुल रकबा 26.62 हे० भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 11.12.2024 से 10.12.2029 तक स्वीकृत/निष्पादित है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की संयुक्त जांच/माप खान निरीक्षक बाँदा, तहसीलदार पैलानी व उपजिलाधिकारी पैलानी द्वारा दिनांक-16.05.2025 को की गयी।

प्राप्त संयुक्त जांच आख्या संख्या-860/खनिज-30, बाँदा दिनांक 17.05.2025 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निम्नवत अनियमिततायें पायी गयी :-

3. पट्टाधारक न्यू यूरेका माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा०लि० निदेशक श्री हिमांशु मीणा के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र का निर्धारित जियोकोऑर्डिनेट्स के द्वारा तैयार की गयी KML फाइल के माध्यम से पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे खनन की जांच की गयी, जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 01 पिट्ट का निर्माण कर खनन/परिवहन कार्य किया गया है। उक्त पिट्ट का जियोकोऑर्डिनेट्स हैण्ड हेल्ड जी०पी०एस० मशीन द्वारा लिया गया, जिसका विवरण निम्नवत है :-

पिट्टस की संख्या	बिन्दु	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)	पिट्टस का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	औ० गहराई (मी० में)	मात्रा (घन मी० में)
1	2	3	4	5	6	7
01	A	25°42'37.57"N	80°19'21.90"E	4887	2.00	9774.00
	B	25°42'36.95"N	80°19'22.22"E			
	C	25°42'34.93"N	80°19'19.68"E			
	D	25°42'34.93"N	80°19'17.47"E			
	E	25°42'34.62"N	80°19'15.28"E			
	F	25°42'35.31"N	80°19'16.14"E			
	G	25°42'35.70"N	80°19'17.53"E			
	H	25°42'36.12"N	80°19'19.67"E			
कुल योग :-						9774.00

इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से बाहर कुल 9774.00 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन का कार्य किया गया है, जो उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन है।

4. जांच के समय यह देखा गया कि स्वीकृत खनन क्षेत्र के अन्दर पट्टेधारक द्वारा नदी की ओर एक रास्ता (लगभग 10 मी० लम्बा) बनाया गया है एवं उक्त रास्ते के बगल में कुछ मात्रा में बालू/मोरम पड़ी हुयी पायी गयी, जिससे यह स्पष्ट है कि पट्टेधारक द्वारा नदी की जलधारा से बालू/मोरम का खनन/परिवहन का कार्य किया गया है, जो उ०प्र० उपखनिज परिहार नियमावली-2021 के नियम-42(ज) का उल्लंघन है।

इस प्रकार आप द्वारा स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से बाहर कुल 9774 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किये जाने से रायल्टी के रूप में रू० 14,66,100/- व खनिज मूल्य के रूप में रू० 73,30,500/- कुल रू० 87,96,600/- तथा उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-42(ज) का उल्लंघन करते हुये जलधारा में खनन कार्य किये जाने के सम्बन्ध में रू० 5,00,000/- शास्ति शुल्क राजस्व की क्षति परिलक्षित होती है, साथ ही खनन पट्टा विलेख की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

(2)

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना लिखित स्पष्टीकरण 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, कि किन परिस्थितियों में आप के द्वारा उक्त कृत्य किया गया। निर्धारित अवधि में आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदनुसार एक पक्षीय रूप से नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : जांच आख्या की प्रति।

J. N. N. N.
19/05/2024
जिलाधिकारी,
बाँदा।